

क्रमांक- 4214890 / 1995
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,
भोपाल-462003
दूरभाष 2552646,2552878 फैक्स 2552406,
Email ID-cao.eincwrdbpl@gmail.com

भोपाल दिनांक 14 / 11 / 2019


प्रति,

समस्त कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- श्री अमोल चन्द चावलानी ठेकेदार, सिविल वार्ड क्र.-5, दमोह (म0प्र0) का अ-3 (तीन) श्रेणी की अमानत राशि वापस करने के संबंध में न मांग प्रमाण-पत्र भेजने बावत् ।
संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4214890 / 1995, दिनांक 08.05.2019, 25.06.2019, 24.07.2019, 24.08.2019, 20.09.2019 एवं दिनांक 23.10.2019

श्री अमोल चन्द चावलानी ठेकेदार, सिविल वार्ड क्र.-5, दमोह (म0प्र0) का पंजीकृत ठेकेदारों की सूची अ-3 (तीन) श्रेणी में पंजीयन इस कार्यालय के पत्र क्र. 4214890 दिनांक 25.11.1995 द्वारा किया गया था, जो कि निष्प्रभावी हो गया है । ठेकेदार द्वारा आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्हें पंजीयन के समय जमा अमानत राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार) वापस की जावें ।

2- अनुरोध है कि आपके संभाग अन्तर्गत यदि ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध किसी प्रकार की शासकीय राशि की वसूली की जाना हो, तो दिनांक 25.11.2019 तक इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें ।


मुख्य अभियन्ता (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 / 11 / 2019

पृ.क्रमांक-4214890 / 1995


प्रतिलिपि :-

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश ।

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(3) वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेब साईट पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।


मुख्य अभियन्ता (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

“कुशवाहा”